सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35–09/2020/सी–2/दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022
प्रति

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
म.प्र.

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ– विभागीय परिपत्र कमांक एफ 35–09/2020/सी–2/दो, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

राज्य शासन व्दारा कोविड–19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज़ की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 द्वारा जारी निर्देश के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1 सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे ।

2 विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी । आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

3 अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी । मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

4 समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा ।

5 जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को, जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें ।

6 कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे । मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे ।

उपरोक्त दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(डॉ.राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

क्रमांक एफ 35–09/2020/सी–2/दो
भोपाल, दिनांक 05 जनवरी 2022

प्रतिलिपि

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृह मंत्रीजी ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव– कृपया उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
6. पुलिस महानिदेशक, म.प्र. ।
7. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
8. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. ।
9. पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस जिला भोपाल एवं इन्दौर म.प्र. ।
10. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग